समाचार-प्रकाशनार्थ:-

रतलाम में तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ हुआ
मुख्यमंत्री श्री शवराज संह चौहान के उद्बोधन को लाइव देखा व सुना गया
रतलाम 26 फरवरी । दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 100 नवीन और सुदृढ़ीकृत रसोई केन्द्रो का ई लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शवराज संह जी चौहान ने भोपाल के मन्टो हॉल दीनदयाल रसाई योजना पोर्टल का रिमोट से बटन दबाकर कया।
आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राजीव गांधी स वक सेन्टर स्थित दीनदयाल रसोई योजना केन्द्र क्रमांक 1 पर कया गया जिसे पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल के अलावा श्री मनोहर पोरवालए श्री निर्मल कटारियाए निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारियाए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यासए श्री जी.के. जयसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री श्री ब्रजेश कुशवाहए सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए झोन प्रभारी श्री करण चौहान के अलावा श्री राकेश परमार सहित हितग्राही आदि ने देखा व सुना।
माननीय मुख्यमंत्री श्री शवराज संह जी चौहान द्वारा कये गये लोकार्पण के तहत नगर निगम द्वारा राजीव गांधी स वक सेंटरए डॉ0 अंबेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड तथा त्रिपो लया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई जहां गरीबए निर्धन व जरूरतमंद व्यक्तियों को 10 रूपए में भरपेट भोजन थाली की सु वधा मलेगी। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के बाद तीनो रसोई केन्द्रो की शलालेख प काओं का अनावरण कया गया।
कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया जिसके तहत राजीव गांधी स वक सेन्टर पर 75ए त्रिपो लया गेट पर 69 व डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर 14 इस तरह कुल 158 व्यक्तियों ने भोजन ग्रहण कया।
। वर्तमान में प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक राष्ट्रीय अवकाशए होली तथा र ववार छोड़कर प्रतिदिन 10 रूपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दालए चावलए सब्जीए रोटीए कढ़ी मलेगी।

10 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 7 कलो पॉलीथीन जब्त

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 26 फरवरी । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000ध् रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत ललीत नाहरपुराए संजय माहेष्वरी धानमण्डी पर 500.500ए राहूलए गुड्डू भाई बाजना बस स्टैण्ड पर 250. 250ए सरूणए राहूल गांधी बाजना बस स्टैण्ड पर 150.150ए हितेन्द्र धानमण्डी पर 100ए ष्यामाबाईए कान्हा भाई व एक अन्य बाजना बस स्टैण्ड पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 7 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 4 मा लयों को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 26 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 25 फरवरी गुरूवार को कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित नीरज-कन्हैयालालए राकेश-बजरंगलालए ईश्वर -तेजराम व राजेश-अम्बाराम का वेतन काटे जाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

धानमण्डी में 1 मार्च को लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 40ए41ए144ध्‍ संपत्तिकर व 8ए40ए090ध्‍ जलकर जमा कराया

रतलाम 26 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ध्‍ व जलकर 6ए000ध्‍ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ध्‍ व जलकर 55ए775ध्‍ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर में संपत्तिकर 2ए38ए000ध्‍ व जलकर 49ए010ध्‍ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध्‍ व जलकर 43ए670ध्‍ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000ध्‍ व जलकर 29ए280ध्‍ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000ध्‍ व जलकर 19ए850ध्‍ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध्‍ व जलकर 48ए220ध्‍ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध्‍ व जलकर 14ए000ध्‍ ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध्‍ व जलकर 86ए540ध्‍ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध्‍ व जलकर 3ए76ए905ध्‍ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध्‍ व जलकर 76ए470ध्‍ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000ध्‍ व जलकर 47ए595ध्‍ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध्‍ व जलकर 22ए680ध्‍ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644ध्‍ व जलकर 55ए320ध्‍ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000ध्‍ व जलकर 59ए500ध्‍ए

वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144ध् व जलकर 6ए71ए025ध्ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000ध् व जलकर 19ए000ध्ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000ध् व जलकर 64ए780ध्ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000ध् व जलकर 66ए715ध्ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000ध् व जलकर 34ए340ध्ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000ध् व जलकर 44ए230ध्ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 1ए20ए000ध् व जलकर 17ए000ध् की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 40ए41ए144ध् संपत्तिकर व 8ए40ए090ध् जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

697 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 26 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 26 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 697 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 26 फरवरी को घांस बाजारए हरमाला रोडए पु लस लाईनए जवाहर नगरए डाट की पुल व गांधी नगर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद

 वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त
127 दिनों में 148 वॉल्व व 870 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 26 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 25 फरवरी तक 148 वॉल्व व 870 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।
 ‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 26 फरवरी शुक्रवार को शक्ति नगरए कल्याण नगरए इन्द्रा नगर डॉ0 हर्ष दुबे के मकान के पास व टैंकर रोड बहुचर माता मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये।
उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 26 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए

कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 26 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।
नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 26 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 26 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का

पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/26ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.